न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/05/2016	2018/00581	08.01.2018	12.08.2024

1. श्रीमती शान्ति बेवा छाजूराम जांगडा ब्राह्मण उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री किशनलाल पुत्र श्री मुरलीधर जाति नाई निवासी ग्राम राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।
2. भू—आवंटन सलाहकार समिति, राजगढ जर्ये अध्यक्ष उप जिलाधीश महोदय, राजगढ जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र जेर नियम 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आज्ञा भू—आवंटन सलाहकार समिति, राजगढ जर्ये अध्यक्ष उप जिलाधीश महोदय, राजगढ दिनांक 13.06.1975 जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील राजगढ का आवंटन गैरसायल नम्बर 01 के हक में बेजा एवं खिलाफ मौका तथा गैर कानूनी किया गया, निरस्त किये जाने उक्त आवंटन आदेश एवं अन्य अनुतोष।

उपस्थितः—

01. श्री रामबाबू कौशिक —वकील प्रार्थी
02. श्री मनमोहन शर्मा —वकील अप्रार्थी संख्या 01
03. राजकीय अभिभाषक —वकील अप्रार्थी संख्या 02

—:: निर्णय ::—

प्रार्थना पत्र जेर नियम 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आज्ञा भू—आवंटन सलाहकार समिति, राजगढ जर्ये अध्यक्ष उप जिलाधीश महोदय, राजगढ दिनांक 13.06.1975 जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील राजगढ का आवंटन गैरसायल नम्बर 01 के हक में किये जाने से व्यथित होकर पेश किया है। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं प्रार्थिनी ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील राजगढ की रहने वाली है तथा प्रार्थिनी उक्त आराजी साबिक खसरा न0 602 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा है जो रकबा काफी है जिस पर प्रार्थीनी तथा उससे पहले उसके ससुर काबिज रहकर काश्त करते चजे आ रहे थे। उक्त खसरा नम्बर जिसकस हाल खसरा 876 रकबा 2.20 ऐयर व 974 रकबा 1.26 ऐयर साबिक खसरा न0 602 के बनाये गये है जो सम्वत 2045 की मिसल हकीकत में खसरा नम्बर 876 रकबा 2.20 गैर मुमकिन नाला बना दिया गया है। प्रार्थीनी का कब्जा हाल खसरा न0 974 रकबा 1.26 ऐयर पर कब्जेकाश्त चला आ रहा है और अप्रार्थी संख्या एक का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या एक को अलोटमेंट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.1975 को उक्त खसरा नम्बर 602 में 5 बीघा भूमि बिना नियम 14(3) की पालना किये ही आवन्टन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

कर दी गई है। आवन्टन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में आराजी का आवन्टन करने से पूर्व कोई जांच पडताल नही की, ना कोई कब्जे के बारे में जांच की है जबकि उक्त आराजी पर मिन प्रार्थीनी का कब्जाकाश्त था और आराजी काबिज आवंटन नहीं थी परन्तु इस पर गौर नहीं किया गया।

आवंटन कमेटी द्वारा आराजी की बाबत कोई सर्वधारण की सूचनार्थ नोटिस भी जारी नही किया गया एवं आवंटन कमेटी के सदस्यों की कोई सहमति भी नही है ना ही उनके स्वयं के हस्ताक्षर हैं। केवल पटवारी एवं सरपंच के ही हस्ताक्षरों द्वारा सहमति की गई है। जिस कारण भी आवंटन विधि विरूद्ध हुआ है जो निरस्त किये जाने योग्य है। भू–आवंटन कमेटी नियमों की कभी कोई पालना नही की तथा गैरसायल न0 1 का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नही रहा। आज भी मौके पर कब्जा नहीं है। प्रार्थी की कब्जा काश्त है ऐसी सूरत में आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन कमेंटी ने जो नियम 14(3) का कतई पालन नहीं किया गया है क्योंकि आवंटन करते समय सलाहकार समिति ने गैरसायल न0 एक को मौके पर कब्जा नहीं दिलाया ना ही प्रोसिडिंग रजिस्टर पर मौके पर दखल दिलाकर हस्ताक्षर ही कराये तथा गैरसायल के नाम पट्टा भी जारी नही किया गया। ऐसी सूरत में आवंटी का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी का स्वीकार किया जावें तथा भू–आवंटन सलाहकार समिति राजगढ जर्ये अध्यक्ष उप जिलाधीश महोदय राजगढ की आज्ञा दिनांक 13.06.1975 बाबत् साबिक खसरा न0 602 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा न0 876 रकबा 2.20 ऐयर व 974 रकबा 1.26 ऐयर वाके ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें तथा अन्य आज्ञा जो न्यायालय उचित समझे आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य/रिकॉर्ड एवं बहस का मिलान किया गया। आवंटन 13.06.1975 का आवंटन है जो काफी पुराना है। प्रार्थना पत्र में 14(4) के क्रम में पत्रावली पर कोई ठोस आधार एवं तथ्य नहीं हैं। प्रार्थना पत्र में आवंटन को खारिज करने के कोई ठोस आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)

राजस्थान
सरकार